

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
का0आ0सं0-02/रेगु0-02-800-08/2024-1095/8020 पटना, दिनांक-24 अक्टूबर, 2024

कार्यालय आदेश

राज्य में सी0ओ0-0238 प्रभेद की खेती लगभग 70 प्रतिशत रकवा में होता है। कालान्तर में यह प्रभेद विभिन्न रोग से ग्रसित होने लगा है, गन्ना वैज्ञानिकों से प्राप्त परामर्श के आलोक में प्रभेद विविधिकरण की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2024-25 एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए राज्य में गन्ना प्रभेदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है-

1. 10 वर्ष के अन्दर रिलीज प्रभेद-

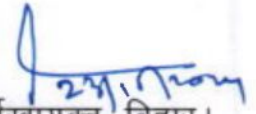
क्र0 सं0	उत्तम प्रभेद	सामान्य प्रभेद
1	CoP 16437 (Rajendra Ganna- 1)	CoP - 112
2	Co- 15023	CoLK- 12207
3	CoLK-14201	CoLK-12209
4	CoS-13235	
5	CoLK-15466	
6	CoLK-16466	
7	CoLK-16470	

2. 10 वर्ष के पूर्व रिलीज प्रभेद-

क्र0 सं0	उत्तम प्रभेद	सामान्य प्रभेद
1	CO -0238	Co-98014
2	CO - 0118	CoLK- 94184
3	CoP- 9301	BO- 153

2. इस वर्गीकरण के फलस्वरूप यह अपेक्षित है कि प्रभेद विविधिकरण को प्रोत्साहित किया जाय तथा सी0ओ0-0238 के विकल्प प्रभेदों को क्रमशः बढ़ाया जाय। उपर्युक्त प्रकार से प्रभेदों के वर्गीकरण के अनुसार उत्पादन वितरण कार्यक्रम को आवश्यकतानुरूप पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 1095/ई०अ०

पटना, दिनांक- 24 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि- मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/सभी उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

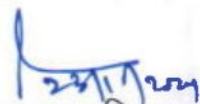

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 1095/ई०अ०

पटना, दिनांक- 24 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि- निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 1095/ई०अ०

पटना, दिनांक- 24 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग एवं सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।